क्रम संख्या–030

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 21 मार्च, 2002 ई0
फाल्गुन 30, 1923 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 107/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002
देहरादून, 21 मार्च, 2002

### अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल विनियोग (अनुपूरक 2001–2002) विधेयक, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 01 सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

### उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) अधिनियम, 2002

(अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2002)

31 मार्च, 2002 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

### अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1. यह अधिनियम उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) अधिनियम, 2002 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तरांचल की समेकित निधि में से वर्ष 2001–2002 के लिए रु० 134,33,85,000 का दिया जाना

2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तरांचल की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग रु0 134,33,85,000 (रु0 एक सौ चौंतीस करोड, तैंतीस लाख, पच्चासी हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

अनुपूरक आय–व्ययक 2001–2002

(धनराशि हजार रु0 में)

| अनुदान संख्या / विभाग का नाम | | | अनुपूरक आय–व्ययक 2001–2002 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | आयोजनागत | आयोजनेत्तर | योग |
| 1 | 2 | | 3 | | |
| 06. | राजस्व एवं सामान्य प्रशासन | राजस्व | 0 | 213713 | 213713 |
| | | पूंजी | 25000 | 0 | 25000 |
| 07. | वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें | राजस्व | 3242 | 0 | 3242 |
| 10. | पुलिस एवं जेल | राजस्व | 0 | 97046 | 97046 |
| 11. | शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति | राजस्व | 197721 | 477417 | 675138 |
| 12. | चिकित्सा एवं परिवार कल्याण | राजस्व | 0 | 7683 | 7683 |
| 13. | जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास | राजस्व | 100000 | 0 | 100000 |
| 15. | कल्याण योजनाएं | राजस्व | 17335 | 97 | 17432 |
| 17. | कृषि कर्म एवं अनुसंधान | राजस्व | 2123 | 0 | 2123 |
| | | पूंजी | 41456 | 6500 | 47956 |
| 19. | ग्राम्य विकास | राजस्व | 0 | 3400 | 3400 |
| 20. | सिंचाई एवं बाढ़ | राजस्व | 2 | 0 | 2 |
| 22. | लोक निर्माण कार्य | राजस्व | 15832 | 130914 | 146746 |
| 23. | उद्योग | राजस्व | 3 | 0 | 3 |
| | | पूंजी | 1 | 0 | 1 |
| 27. | वन | राजस्व | 2300 | 0 | 2300 |
| 28. | पशुपालन संबंधी कार्य | राजस्व | 1600 | 0 | 1600 |
| | योग: | राजस्व | 340158 | 930270 | 1270428 |
| | | पूंजी | 66457 | 6500 | 72957 |
| | अनुपूरक की कुल धनराशि: | | | | 1343385 |

आज्ञा से,

(आर0 पी0 पाण्डेय)
सचिव।